भारत सरकार
विदेश मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या– 2284
दिनांक 12.12.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

विदेश में संकट का सामना कर रहे पंजाब के छात्र और श्रमिक

2284. **श्री अमरिंदर सिंह राजा वारिंग:**

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने के कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान विदेश में मृत्यु, वीजा सम्बन्धी मुद्दे, धोखाधड़ीपूर्ण भर्ती, कार्यस्थल पर शोषण, दस्तावेज खोने और छात्रों की शिकायतों के संबंध में विदेश में रह रहे भारतीय नागरिकों से प्राप्त शिकायतों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या आंकड़े दर्शाते हैं कि ऐसी शिकायतें करने वालों में पंजाब के लोगों की बड़ी संख्या है, यदि हॉं, तो इस प्रकार की असुरक्षा बढ़ाने के संबंध में मंत्रालय द्वारा क्या कारण चिन्हित किए गए हैं;

(ग) पंजाब के छात्रों और श्रमिकों की बड़ी संख्या वाले देशों में कांसुलर सेवाओं और शिकायत निवारण तंत्र को सुदृढ़ करने हेतु उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार विदेश में सकंट का सामना कर रहे पंजाब के छात्रों एवं श्रमिकों को बेहतर सहायता प्रदान करने हेतु भारतीय मिशनों के माध्यम से संपर्क, सामुदायिक भागीदारी और आपातकालीन सहायता उपायों को बढ़ाने का प्रस्ताव रखती है?

उत्तर
विदेश राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) एवं (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान विदेशों में रहने वाले भारतीय नागरिकों से प्राप्त शिकायतों की संख्या नीचे दी गई है। राज्यवार आंकड़े इस मंत्रालय के पास उपलब्ध नहीं हैं।

पोर्टल	प्राप्त शिकायतों की संख्या		
	2022	2023	2024
मदद	5774	5794	5704
सीपीग्राम्स	5609	3492	2798
कुल	11383	9286	8502

(ग) विदेश स्थित भारतीय मिशन और केंद्र, छात्रों और कामगारों सहित भारतीय नागरिकों को आवश्यकता पड़ने पर हर संभव कोंसली सहायता प्रदान करते हैं। भारतीय नागरिक विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों और केंद्रो से व्यक्तिगत रूप से मिलकर, ईमेल, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, 24x7 आपातकालीन टेलीफोन नंबर और विदेशों में स्थित

मिशनों और केंद्रों द्वारा स्थापित टोल फ्री हेल्पलाइन तथा मदद, सीपीग्राम्स आदि जैसे शिकायत निवारण पोर्टलों के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं ताकि उनकी शिकायतों का शीघ्र निवारण हो सके। भारतीय मिशन और केंद्र आवश्यकता पड़ने पर कानूनी सहायता भी प्रदान करते हैं और जहां भारतीय समुदाय की अच्छी खासी संख्या है, वहां मिशन और केंद्र वकीलों का एक स्थानीय पैनल भी रखते हैं। विदेशों में संकट में फंसे भारतीय नागरिकों को विदेश स्थित सभी भारतीय मिशनों और केंद्रों में स्थापित भारतीय समुदाय कल्याण कोष (आई सी डब्ल्यू एफ) के तहत साधन परीक्षण के आधार परउपगत आकस्मिक खर्चों को पूरा करने के लिए सहायता प्रदान की जाती है। इसके अलावा, विदेशों में संकटग्रस्त भारतीय नागरिकों को सहायता प्रदान करने के लिए दुबई, शारजाह, रियाद, जेद्दा और कुआलालंपुर में प्रवासी भारतीय सहायता केंद्र (पीबीएसके) स्थापित किए गए हैं। भारतीय नागरिकों के लिए समय-समय पर सलाह जारी की जाती है, जिसमें उनसे उचित सावधानी बरतने और सतर्क रहने का आग्रह किया जाता है। सरकार विदेशों में रहने वाले भारतीय नागरिकों के जीवन को प्रभावित करने वाले घटनाक्रमों पर निरंतर नजर रखती है और उनके हितों और कल्याण की रक्षा के लिए सभी आवश्यक उपाय करती है।

(घ) भारत सरकार विदेशों में रहने वाले भारतीय नागरिकों, जिनमें छात्र और कामगार भी शामिल हैं, के हितों और कल्याण की रक्षा को उच्च प्राथमिकता देती है। विदेश स्थित भारतीय मिशन और केंद्र विदेशी विश्वविद्यालयों में नामांकित भारतीय छात्रों के साथ नियमित संपर्क बनाए रखते हैं।मिशन के अधिकारी अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले विश्वविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों का दौरा करते हैं ताकि भारतीय छात्रों और छात्र संघों से बातचीत कर सकें औरअध्ययन किये जा रहे पाठ्यक्रमों की विश्वसनीयता या गुणवत्ता से संबंधित किसी भी मुद्दे का आकलन कर सकें। विदेश स्थित कई भारतीय मिशन और केंद्र अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले भारतीय छात्रों के लिए औपचारिक सलाह भी जारी करते हैं, जिनका उद्देश्य विदेशों में उनके हितों, कल्याण और सुरक्षा की रक्षा करना है।

श्रमिक सहित भारतीय नागरिकों से किसी भी प्रकार की शिकायत या समस्या प्राप्त होने पर, भारतीय मिशन और केंद्र संबंधित विदेशी नियोक्ता (एफ ई) से सक्रिय रूप से संपर्क करते हैं और आवश्यकता पड़ने पर पीड़ित कामगार के कार्यस्थल का दौरा भी करते हैं। मेजबान देश के स्थानीय श्रम विभाग और अन्य संबंधित अधिकारियों से भी इस मामले को उठाया जाता है।

विदेश स्थित भारतीय मिशन और केंद्र भी सतर्क रहते हैं, विशेष रूप से उन देशों में जो राजनीतिक अस्थिरता और आर्थिक संकट से ग्रस्त हैं, और जहां छात्रों और कामगारों सहित भारतीय नागरिकों के गुमराह होने या शोषण का खतरा अधिक है। भारतीय नागरिकों से जुड़ी किसी भी घटना की सूचना तुरंत मेजबान सरकार को दी जाती है ताकि उनकी सुरक्षा और उचित निवारण सुनिश्चित किया जा सके। आवश्यकता पड़ने पर कोंसली सहायता, जिसमें आपातकालीन चिकित्सा सहायता, अस्थायी आवास और अन्य आवश्यक सेवाएं शामिल हैं, प्रदान की जाती हैं। भारतीय समुदाय कल्याण कोष (आईसीडब्ल्यूएफ) संकट में फंसे भारतीय नागरिकों को सहायता प्रदान करता है और साधन परीक्षण के आधार पर आपातकालीन खर्चों और पार्थिव शरीर के प्रत्यावर्तन के लिए सहायता उपलब्ध कराता है।

आपातकालीन स्थितियों के दौरान, सरकार ने छात्रों और कामगारों सहित भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और उन्हें वापस घर लाने के लिए बड़े पैमाने पर निकासी अभियान चलाए हैं। हाल के उल्लेखनीय निकासी अभियानों में ऑपरेशन देवी शक्ति (अफगानिस्तान), ऑपरेशन गंगा (यूक्रेन), ऑपरेशन कावेरी (सूडान), ऑपरेशन अजय (इजराइल) और ऑपरेशन सिंधु (इजराइल और ईरान) शामिल हैं। ये प्रयास विदेशों में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने तथा उन्हें उपद्रवियों और असंरक्षित सुरक्षा स्थितियों से बचाने के लिए मंत्रालय की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।

*****